न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 63/2018
निर्णय दिनांक: 30.12.2019

छीतर पुत्र स्व. श्री घासी जाति रैगर निवासीः चकचैनपुरा, तहसील जमरामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सुजाउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
2. फसीउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
3. वसीउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
4. वसीदीन पुत्र सरफराजउद्दीन
5. सुजउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
6. सलीमउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
7. सरफराजउद्दीन पुत्र शफी मोहम्मद (दौराने अपील फौत)
   - 7/1 नफीसा पुत्री सरफराजउद्दीन पत्नि सैयद अहमद निवासीः 1100, गली नीम वाली, किशनगंज तेलीवाडा, सदर बाजार, दिल्ली।
   - 7/2 अनिशा पुत्री सरफराजउद्दीन पत्नि सकील अहमद निवासीः 708, बाजार रोड, टेलीफोन एक्सचेन्ज बान्द्रा वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र।
8. नाजीमुद्दीन पुत्र इमामद्दीन
9. रियाजद्दीन उर्फ रियाल बाबा पुत्र इमामुद्दीन (दौराने अपील फौत)
   - 9/1 फरीदा पत्नि स्व. श्री रियाजद्दीन उर्फ रियाल बाबा
   - 9/2 फरहान पुत्र स्व. श्री रियाजद्दीन उर्फ रियाल बाबा
   - 9/3 रेहान पुत्र स्व. श्री रियाजद्दीन उर्फ रियाल बाबा

   समस्त जाति मुसलमान, निवासीः 1389, कमेला गली, मोती डूंगरी, जयपुर।
10. नासीरूद्दीन पुत्र इमामद्दीन
11. फिरोजउद्दीन पुत्र इमामद्दीन
12. निजामउद्दीन पुत्र इमामद्दीन

    समस्त जाति मुसलमान, निवासीः 1389, कमेला गली, मोती डूंगरी, जयपुर।
13. सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड जरिये अध्यक्ष तारों की कूट, दुर्गापुरा, सांगानेर, जयपुर।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.01.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 86/2017 उनवानी छीतर बनाम सुजाउद्दीन अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 86/2017 बउनवानी छीतर बनाम सुजाउद्दीन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि ग्राम चकचैनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 141 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि ग्राम चकचैनपुरा में स्थित भूमि को प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड खातेदार कि हैसियत से मौके पर काबिज काश्तकार है जो अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर साधिकार काबिज काश्त है। प्रार्थी की कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि से अप्रार्थीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है किन्तु फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर लठ के जोर से कब्जा कर प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है तथा मौके पर प्रार्थी की भूमि के एक तरफ स्थित बाउण्ड्री एवं कमरे को तोडने पर आमादा है तथा प्रार्थी को काफी परेशान करते है जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व अप्रार्थीगण 50–60 लोगो के साथ प्रार्थी की भूमि पर आये एवं उक्त भूमि पर जेसीबी से खडी फसल को बर्बाद करने लग गये जब प्रार्थी ने उन्हे रोका तो झगडा करने पर उतारू हो गये एंव धमकी दी कि हम लाठी के बल पर तुम्हे यहां से बेदखल कर देगे एवं आराजीयात पर कब्जा करेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि ग्राम चकचैनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में अप्रार्थीगण अवैध प्रवेश, अतिक्रमण, कब्जा इत्यादि नहीं करे तथा आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में एवं कृषि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं फसल बर्बाद न करे। प्रार्थी का आराजीयात से बेदखल नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2018 को खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी में खसरा नंबर 94 के आगे नोट संख्या 155 दिनांकित 23.03.2002 के द्वारा खसरा नंबर 94/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा छीतर पुत्र घासी रैगर के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार हुआ और गिरदावरी में उक्त खसरा नंबर में बाजरे की फसल बोई जाना उल्लेखित है। इससे स्पष्ट है कि आराजीयात पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एव दस्तावेजात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2015 (2) डब्ल्यू.एल.सी. (एस.सी.) सिविल पेज 1, 2012 (2) डब्ल्यू.एल.सी. (एस.सी.) सिविल पेज 670, 2008 (2) डब्ल्यू. एल.सी. (एस.सी.) सिविल पेज 58, 2012 (1) डब्ल्यू.एल.सी.(राज.) पेज 261 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट्स ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अपीलान्ट् ने आराजीयात का विक्रय रेस्पोडेन्ट को किया है एवं उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है इस कारण कब्जे के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिनुसार चलने योग्य नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गौर कर उचित निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.01.2018 को खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में एक एफ.आई.आर संख्या 370/17 दर्ज करवाई गई थी जिसकी प्रति देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त एफ.आई.आर में प्रार्थी को कब्जा दिलवाये जाने के तथ्य वर्णित किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इकरारनामा देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का बेचान जरिये इकरारनामा पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को किया जा चुका है जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 13 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 12 को पट्टे जारी कर दिये गये है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त होना नहीं पाया जाता है। इस कारण कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है साथ ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाते है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुये आधारहीन तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य पायी जाती है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गौर कर सही निर्णय पारित किया है जिसमें मेरे विनम्र में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर